

दिनांक-02 नवम्बर, 2012 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय :-

गृह विभाग

2. मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई प्रखंड में दिनांक-06.08.2001 को राहत वितरण के दौरान हुई गोली कांड में मृत एवं घायल व्यक्तियों को सहाय्य मद की राशि का विचलन कर भुगतान किये गये ₹ 6,00,000/- (रूपये छः लाख) को अपलेखित (Write-Off) करने के संबंध में। 2. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

3. राज्य के नगर निकायों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त नगर प्रबंधकों के नियोजन के अवधि विस्तार के संबंध में। 3. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा अंचल के मौजा-नदोखर, थाना नं०-621, खाता सं०-59, खेसरा सं०-238, रकबा-7.82 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म तालाब भूमि 220/132 के०भी० पावरग्रीड सब-स्टेशन निर्माण हेतु कुल 35,19,000/-रु० के भुगतान पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। 5. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

6. राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वर्ष 2010-11 के पूर्व का बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 12,00,00,000/- (बारह करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान की राशि एवं व्यय की स्वीकृति। 6. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7. बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के नियम 4 (2) के प्रावधान को एक बार शिथिलीकरण किये जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को संशोधित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में। 7. स्वीकृत।

गृह विभाग

8. राज्य में चालू कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना के तहत राज्य स्तर पर सभी जिलों के लिए कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को निर्माण एजेंसी घोषित करते हुए शेष योजना के कार्यान्वयन हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए ₹ 500 (पाँच सौ) करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा वर्ष 2012-13 सहित अगले पाँच वर्षों में 500 करोड़ रुपये की राशि इस योजना पर व्यय करने हेतु गृह विभाग के बजट उपबंध में इस मद में उपबंधित राशि को वित्तीय वर्ष 2012-2013 से जिला पदाधिकारी के बदले स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को आवंटित करने एवं पूर्व से ली गई/शुरू की गई कब्रिस्तान घेराबंदी की योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु आवश्यकतानुसार राशि संबंधित जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए शेष कार्य पूर्ण प्रक्रिया के अनुरूप ही पूर्ण कराने के संबंध में।

8. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

9. नाबार्ड ऋण परियोजना (आर०आई०डी०एफ०-XVIII) के तहत मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखण्ड अन्तर्गत बूढी गण्डक नदी के कोदरिया घाट पर भू-अधिग्रहण, पहुँच पथ निर्माण कार्य सहित 2-लेन के 13x25.00 मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य कुल 3300.00 लाख (तैंतीस करोड़) रुपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

9. स्वीकृत।

वित्त विभाग

10. नक्सल विरोधी अभियान में संलग्न अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) के रूप में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के पदाधिकारियों को एस०टी०एफ० के अनुरूप 30% विशेष भत्ता देने की स्वीकृति।

10. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

11. वित्तीय वर्ष 2012-13 में आई०सी०डी०एस० (सामान्य) योजना के स्थापना मद में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल रू 26,96,72,500/- (छब्बीस करोड़ छियानवें लाख बहत्तर हजार पाँच सौ) (केन्द्रांश रू० 24,27,05,250/- चौबीस करोड़ सताईस लाख पाँच हजार दो सौ पचास एवं राज्यांश रू० 2,69,67,250/- दो करोड़ उनहत्तर लाख सरसठ हजार दो सौ पचास) मात्र व्यय की स्वीकृति।

11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

12. "बिहार भू-अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति- 2007" के संकल्प संख्या-923/रा० दिनांक-18.05.10 की कंडिका 1.1 (ख) के क्रमांक-V के नीचे क्रमांक-VI एवं VII जोड़ने के संबंध में।
12. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. पटना जिला के अंचल दानापुर स्थित मौजा-रुकनपुरा, खाता सं०-44 एवं 45 के सर्वे खेसरा संख्या-517 एवं 518 के कुल रकबा-5937 वर्ग फीट भवन सहित भूमि का विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय के संचालन हेतु समाज कल्याण विभाग को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।
13. स्वीकृत।